मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 205

दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए

लैंडफिल क्षेत्र से विषैली गैसों का उत्सर्जन

205. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे शहरों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश के हर जिले में अपशिष्ट निपटान प्रणाली का प्रबंधन करने हेतु सरकार की योजना और नीतियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में साफ-सफाई और विषाक्त गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लैंडफिल क्षेत्रों के आस-पास स्थायी अपशिष्ट निपटान प्रणाली के संबंध में कोई अनुसंधान और विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो प्रत्येक शहर में लैंडफिल क्षेत्र के जीर्णोद्धार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा क्या नीतियां बनाई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सांविधिक कार्यढांचा प्रदान करता है। नियमानुसार, स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायतें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने ''कचरा मुक्त शहर'' बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ अक्टूबर, 2021 में स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) शुरु किया है, जिसको अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाना है। इस मिशन में यह लक्ष्य प्राप्त करना शामिल होगा कि सभी शहरी स्थानीय निकाय कम-से-कम 3-स्टार प्रमाणित (कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार) हो जाएं, जिसमें कम-से-कम 80% वार्डों में घर-घर से कचरा संग्रहण, प्रत्येक वार्ड में 60% स्रोत पर कचरे का पृथक्करण तथा कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट में से कम-से-कम 80% को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किया जाना शामिल है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 की योजना के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों और संघ शासित प्रशासनों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के चरण-II के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने राज्यों और संघ शासित प्रशासनों को प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें ग्रामीण स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I सेनेटरी लैंडफिल स्थलों के लिए विनिर्देश प्रदान करता है, जिसमें (i) स्थल चयन (ii) सेनेटरी लैंडफिल सुविधाओं का विकास (iii) प्रदूषण की रोकथाम (iv) वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी और (v) लैंडफिल स्थलों के संचालन और लैंडफिल

स्थल भर जाने पर बंद करने के मानदण्ड शामिल हैं। इन नियमों के तहत बंद करने के मानदण्ड तथा पुराने अपशिष्ट निपटान स्थलों को पुन: चालू करना भी विहित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी स्थायी रूप से जमा अपशिष्ट (पुराना नगरीय ठोस अपशिष्ट) के निपटान के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत स्थायी रूप से जमा अपशिष्ट के जैविक-खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

****